संख्या- 27/2017/1992 /अडतीस-7-2017-106नरेगा/2016टीसी-1

प्रेषक,

विजय बहादुर वर्मा,
उप सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 15 दिसम्बर, 2017**

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005 एवं उसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशिका में निहित व्यवस्थानुसार भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-14037/04/2017-आरई-1(354665) एसएल.नं0 170, दिनांक: 29-11-2017 द्वारा निर्गत केन्द्रांश रू0 50,38,83,500/- (रू0 पचास करोड अडतीस लाख तिरासी हजार पांच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-26/2017/1980/38-7-2017-106नरेगा/2016टीसी, दिनांक: 07-12-2017 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। अत: उक्त संदर्भित शासनादेश द्वारा निर्गत केन्द्रांश की धनराशि के समतुल्य अवशेष राज्यांश 1/3 अंश की धनराशि रू0 16,79,61,166/-(सोलह करोड उन्यासी लाख इकसठ हजार एक सौ छाछठ मात्र) की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित बजटीय व्यवस्थानुसार व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/ अधिनियम में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित मदों पर ही किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुत: जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाने वाला व्यय अनुमन्य नहीं होगा।
3. सामग्री आदि के क्रय हेतु संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था/प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
4. धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।
5. धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यक्तानुसार अनुमन्य मद जिस हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है, किया जायेगा।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. धनराशि आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रश्नगत धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 के संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. वित्तीय नियमों के अनुपालन हेतु अपर आयुक्त(वित्त), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक लेखानुदान की अनुदान संख्या-13 के लेखा शीर्षक "4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-102-सामुदायिक विकास-02-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना-0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना(के-75/रा.25-के+रा)-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3- प्रश्नगत व्यय के दौरान वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक: 03 अगस्त, 2017 एवं शासनादेश संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनांक: 20 नवम्बर, 2017 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-यूओ-ई-2-1146/दस-2017 दिनांक 14-12-2017 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

(विजय बहादुर वर्मा)
उप सचिव।

<u>संख्या- 27/2017/ 1992(1)/अड्तीस-7-2017 तददिनांक:-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, एमजीनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार , कृषि भवन, नई दिल्ली ।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. अपर आयुक्त (मनरेगा/वित्त), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय, उ0प्र0, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. राज्य योजना आयोग-1/2
11. ग्राम्य विकास अनुभाग-3
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(विजय बहादुर वर्मा)
उप सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।